संख्या - 99/वी.जी.एल/16
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 05.06.2009

परिपत्र संख्या 14/06/09

विषय: भ्रष्टाचार के बारे में जनसाधारण को सुग्राही बनाना - विभागों/संगठनों द्वारा मानक सूचना पट्ट प्रदर्शित करना ।

"सतर्कता प्रशासन में सुधार करना - भ्रष्टाचार के बारे में जनसाधारण को सुग्राही बनाना" के बारे में कृपया आयोग के दिनांक 12.03.1999 के परिपत्र सं0 8(1) (जी)/99 (4), दिनांक 17.07.2003 के कार्यालय आदेश सं0 37/7/03 तथा दिनांक 14.05.2004 के कार्यालय आदेश सं0 34/5/04 का संदर्भ लें । इन आदेशों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी आदि को रिश्वत ना देने के आयोग के संदेश के बारे में सभी विभागों/संगठनों को अपने प्रत्येक कार्यालय के स्वागत कक्ष में एक मानक सूचना पट्ट सुस्पष्ट रूप से लगाना है ।

2. आयोग ने स्थिति की समीक्षा की है तथा यह पाया है कि कुछ विभाग/संगठन सूचना पट्ट लगाने की प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं । सतर्कता प्रशासन में सुधार करने तथा संबंधित संगठनों/विभागों के साथ व्यवहार करने वाले जनसाधारण, विक्रेताओं, ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं आदि को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से, यह महसूस किया गया कि प्रत्येक विभाग/संगठन द्वारा ऐसे मानक पट्ट प्रदर्शित किए जाने की आवश्यकता है । तद्नुसार, सभी विभाग/संगठन निम्न प्रपत्र में, अंग्रेजी, हिन्दी तथा स्थानीय भाषा में सूचना पट्ट निम्नानुसार प्रदर्शित करें:

"रिश्वत न दें । यदि इस कार्यालय का कोई भी व्यक्ति रिश्वत मांगता है अथवा यदि आपके पास इस कार्यालय में भ्रष्टाचार संबंधी कोई सूचना है अथवा यदि आप इस कार्यालय में भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं तो आप इस विभाग के अध्यक्ष अथवा मुख्य सतर्कता अधिकारी / पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग से शिकायत कर सकते हैं ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दी जाने वाली सभी शिकायतें, आयोग की 'शिकायतों पर कार्रवाई करने की नीति' के अनुसरण में दी जा सकती है । यह नीति आयोग की वेबसाइट www.cvc.gov.in पर लोकक्षेत्र (public domain) में उपलब्ध है । शिकायतें, आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी की जा सकती हैं ।

3. उपर्युक्त संदेश प्रदर्शित करने के साथ-साथ विभागाध्यक्ष, मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का पदनाम, पूरा पता, दूरभाष/फैक्स नं0 तथा ई-मेल पता भी प्रदर्शित किया जाए । जहां तक आयोग का संबंध है, सूचना पट्ट पर सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग का केवल पदनाम तथा पता प्रदर्शित किया जाए ।

4. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी उपर्युक्त संशोधित दिशानिर्देशों को नोट करें तथा इस मामले की अनुपालन रिपोर्ट शीघ्रतापूर्वक प्रस्तुत करें ।

ह0/-
(जे. विनोद कुमार)
अवर सचिव

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी